पत्रांक : 2139 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनु0/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016

:: परिपत्र ::

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 170/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/11–12 दिनांक 15 अप्रैल, 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय मामलों को संवेदनशील पंजीयन के मामले माने जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गये थे **(छायाप्रति संलग्न)।**

इस क्रम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1118/आयु0क0उत्तरा0वाणि0क0/विधि–अनुभाग/16–17 दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा संवेदनशील मामलों में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय पंजीयन जारी किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गये हैं। पंजीयन के अन्तर्गत गैर संवेदनशील मामलों के पंजीयन की तुलना में संवेदनशील मामलों के पंजीयन High Risk मामले होने के कारण, ऐसे मामलों में सर्वेक्षण की कार्यवाही एवं अन्य औपचारिकताएं अत्यधिक सतर्कतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त तथ्य के दृष्टिगत संवेदनशील पंजीयन से संबंधित ऐसे मामलों, जिनमें न सिर्फ पंजीयन सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं वरन् पंजीयन दिए जाने के उपरान्त उनके द्वारा किए जा रहे संव्यवहार की भी अतिरिक्त मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में Online Utility संलग्न तालिका "अनुलग्नक–क" के आधार पर develop की गयी है। उक्त Online Utility की सहायता से कर निर्धारण अधिकारी पंजीयन के ऐसे High Risk मामलों को चिह्नित कर सकेंगे तथा व्यापार स्थल के सर्वेक्षण हेतु प्राथमिकता निर्धारित कर सकेंगे।

"अनुलग्नक–क" इस परिपत्र के साथ इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि समस्त कर निर्धारण अधिकारी ऐसे संवेदनशील मामलों को High Risk मामले मानते हुए इनके संबध में अतिरिक्त सावधानीपूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : 2139 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।
2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन करने के आदेश देते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
4– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
5– विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Aud_(Vidhi_L)

"अनुलग्नक–क"

TABLE SHOWING PARAMETERS FOR RISK BASED INSPECTION AND ASSIGNMENT OF POINTS TO DEALER FOR INTENSIVE INSPECTION

Risk Profile of Dealer			
SI. NO	Category	Points & Category Dynamics	Exclusion to the Parameters if any
1	Dealers involved in the trading of Iron & Steel	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Excluding Manufacturer.
2	Dealers involved in the trading of Cement	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Excluding Manufacturer.
3	Dealers involved in the trading of Edible Oil, Vanaspati Oil and Braun Oil	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Excluding Manufacturer.
4	Dealers involved in the trading or manufacturing of Mentha and Mentha Products	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Including Manufacturer.
5	Dealers involved in the trading of River Sand, Grit and Bajri	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Excluding Manufacturer.
6	Dealers involved in the trading of Timber	Sensitive	**(A)** Excluding Government Department, Government Companies, Government Corporation and Semi-Government Organisation. **(B)** Excluding Manufacturer.
7	Such Trading business in which Firm Proprietor or Partners don't have a permanent residential address of Uttarakhand and they don't have any immovable property in the State.	Sensitive	–
8	If the applicant (proprietor/Partner/ Director) has a previously established business which has been marked for audit in the risk based audit tool.	Sensitive	–